17-3-16 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। प्रतिवादी नं० 2, प्रतिवादी नं० 1, 3 की ओर से जबाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी नं० 4, 5, 6 के जबाब हेतु पत्रावली दि० 31-3-2016 को पेश हो

31-3-16 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। प्रतिवादी नं० 4, 5, 6 के वकील जबाब दावा पेश करने को समय चाहते हैं, अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते जबाब दावा पत्रावली दि० 28-4-16 को पेश हो।

28-4-16 ~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/पार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। स्थगन हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-5-16 को पेश हो।
रीडर

25/03-16
25/5/16

26-5-16 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। पत्रावली दि० 3-6-16 को राजस्व लोक अदालत कैम्प स्थान पुरबडौदा में पेश हो।
उप[illegible]टर

3-6-16 पत्रावली पेश हुई। कैम्प स्थान पुरबडौदा में वादी पूनया तथा वादी हरी का पुत्र ओमप्रकाश, प्रतिवादी X-EN PWD की ओर से A-EN PWD. उप० हैं। पक्षकारों ने राजीनामा ~~हस्ता~~ पेश कर रक्बा नं० 177/1108 रकबा 33 स्यर ग्राम स्थानपुरबडौदा का सीमाज्ञान तहसीलदार से कराने व मुकदमा वापिस लेने का निवेदन किया है।

पुष्टि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के अनुसार ~~रक्बा~~ रक्बा नं० 177/1108 ग्राम स्थानपुरबडौदा का सीमाज्ञान तहसीलदार गंगापुर के नेतृत्व में गठित टीम से कराने का आदेश दिया जाता है व वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा ऐकी जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद वकील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत
(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत
(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खानपुर बडौदा

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. हरि पुत्र हरफूल माली निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2. पून्या पुत्र रामहेत माली निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्लूडी गंगापुर सिटी
2. दुर्गालाल ठेकेदार पुत्र नामालूम जाति महाजन निवासी उदेई मोड गंगापुर सिटी
3. लेण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
4. चौथी पत्नी दौजी माली निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
5. गोरधन पुत्र रामहेत माली निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
6. शीला पत्नी बुधराम माली निवासी खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 2/2016

वादी की ओर से वादी पून्या की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी बदनसिंह सहायक अभियंता पीडब्लूडी गंगापुर सिटी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 03.06.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं की अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर वादीगण की भूमि ख0न0 177/1108 रकबा 33 एयर वाके ग्राम खानपुर बडौदा की नाप करवा कर वादीगणं को भूमि का सीमाज्ञान करवा दे एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 3.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	